राजस्व प्रार्थना पत्र 06 / 2021
जीसीएमएसम नंबर 2021 / 532
बाबूराम बनाम सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी–ओमप्रकाश वर्मा **आर.ए.एस**

प्रार्थना पत्र– 06 / 2021

प्रार्थी–

1. बाबूराम उर्फ बाबूलाल पुत्र रामूराम जाति अहीर, निवासी– अहीरपुर तहसील–जायल , जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–जायल , जिला–नागौर।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री नरेन्द्र सिह राठोड प्रार्थी की ओर से।
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय

दिनांक :– 26/12/2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का नाम बाबूलाल है। जिसे परिवार के लोग घर में बाबूराम के नाम से भी पुकारते रहे है। मौजा दुगस्ताऊ के खेत खाता सं. 457 में राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा खातेदारी मे नाम दर्ज करते समय बाबूलाल के स्थान पर बाबूराम दर्ज कर दिया।

प्रार्थी के नाम से ग्राम दुगस्ताऊ में राशनकार्ड बना हुआ है जिसमे प्रार्थी का नाम बाबूलाल दर्ज है। प्रार्थी का नाम भामाशाह कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वार जारी पहचान पत्र मे भी प्रार्थी का नाम बाबूलाल दर्ज है। इसके साथ ही प्रार्थी के नाम जारी जॉब कार्ड, आधारकार्ड, जाति प्रमाण पत्र व बैक खाता सं. 33060382449 मे भी प्रार्थी का नाम बाबूलाल दर्ज है। परन्तु राजस्व अभिलेखों में मात्र बाबूराम दर्ज है तथा इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब तलब किया गया। जवाब हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी राजपैरोकार ने हल्का पटवारी दुगस्ताऊ की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि ग्राम दुगस्ताऊ के ख.न. 457 में बाबूराम पुत्र रामूराम जाति अहीर के नाम खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी का नाम बैचाननामा के नामान्तकरण सं. 156 के जरिये दर्ज हुआ।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र संख्या, आधार कार्ड संख्या, राशनकार्ड, बैक खाता की पासबुक व भामाशाह कार्ड की छायाप्रतिया प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में दुगस्ताऊ के खाता सं. 457 में अंकित खसरान् में प्रार्थी का नाम बाबूराम के स्थान पर बाबूलाल शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज दुगस्ताऊ तहसील के खाता सं. 457 में वर्णित खसरान की भूमि जो कि प्रार्थी ने जरिये बैचाननामा से प्राप्त की है। तथा बैचाननामा के आधार पर खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी के प्रस्तुत अन्य दस्तावेज यथा मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड बैंक खाता आदि में प्रार्थी का नाम बाबूलाल दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थी के नाम जरिये बैचाननामें के नामान्तकरण सं. 156 दिनांक 09.03.1963 के द्वारा दर्ज किया गया। प्रार्थी का नाम बैचाननामा के आधार पर खातेदारी में दर्ज हुआ है जिसमें किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटी प्रतित नहीं होती है। प्रार्थी का वास्तविक नाम बाबूलाल है तथा प्रार्थी के सभी सरकारी दस्वावेज जिससे प्रार्थी का जाना जाता है, मे प्रार्थी का नाम बाबूलाल है। भू.अ.निरीक्षक एवं हलका पटवारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार बाबूलाल व बाबूराम एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थी का नाम बैचाननामे से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हुआ है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटी नहीं रही है जिससे प्रार्थी की समस्या निदान धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानो में प्रावधानों मे नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी का वास्तविक नाम दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो गया। जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी का भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी सुविधाएं महज इसलिए नहीं मिल पा रही है

क्योंकि प्रार्थी का नाम सरकारी दस्तावेजों एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है। जबकि बाबूलाल एवं बाबूराम एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 मे प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसज्ञान से हस्तगत प्रकरण को धारा 136 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के साथ धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम दुगस्ताऊ के खाता सं. 457 में दर्ज खातेदार बाबूराम पुत्र रामूराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र रामूराम दुरस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 व धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि मौजा दुगस्ताऊ के खाता सं. 457 में दर्ज नाम बाबूराम पुत्र रामूराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र रामूराम दुरस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। यह आदेश आज दिनांक 26/12/2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया जाकर बाद टंकण एव न्यायालय मुद्रा की जारी किया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल